समाहरणालय बक्सर

(जिला भू–अर्जन शाखा)

आदेश

बक्सर थर्मल पॉवर प्रोजेक्ट के निर्माण हेतु 1064.69 एकड़ भूमि का अधिग्रहण, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के अन्तर्गत की गयी है। मुआवजा का भुगतान होते–होते भूमि अधिग्रहण अधिनियम प्रभावी हो चुका था। इस संबंध में प्रमंडलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना से पत्राचार द्वारा नीति के निर्माण हेतु उचित मार्गदर्शन प्राप्त करने के संबंध में पत्रांक संख्या एसटीपीएल/बीटीपीपी/भूमि/2018–86 दिनांक–16.11.18 को भेजा गया। इस संबंध में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, भू–अर्जन निदेशालय के पत्रांक 14/डीएलए, बक्सर (टीसीपी)–21/2011–152, दिनांक–11.02.2019 में स्पष्ट किया गया है कि एसजेवीएन टीसीएल बक्सर के निर्माणार्थ कुल 1064.69 एकड़ भूमि के अर्जन की प्रक्रिया बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से शुरु की गयी है, जिसकी अधिसूचना वर्ष 2011–12 में भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत जिला प्रशासन, बक्सर के द्वारा किया गया है तथा वर्ष 2013 में उक्त भूमि पर दखल कब्जा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। तत्समय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 प्रभावी था तथा अधिग्रहित भूमि के पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन हेतु बिहार भू–अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति 2007 के नियम (4) के तहत वांछित कार्यवाही किये जाने का प्रावधान है।

बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापन संख्या 236/रा0 पटना–15 दिनांक–13.02.14 के अनुसार अपर समाहर्त्ता, राजस्व को भूमि अर्जन/अधिग्रहण कार्यो के अन्तर्गत पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापना कार्यो के सम्पादनार्थ प्रशासक के रुप में नियुक्त किया गया है। अतः पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन नीति को क्रियान्वित करने हेतु NRRP-2007 के अन्तर्गत अध्याय 08 के धारा सं0 8.1 के अनुसार जिला स्तरीय समिति का गठन निम्नवत किया जाता है :–

क्र०सं०	प्रावधानित सदस्य	सदस्य का नाम, पता एवं मोबाईल नम्बर
1.	प्रभावित क्षेत्र से एक महिला प्रतिनिधि।	श्रीमती सुनिता देवी, अध्यक्ष, प्रखंड स्तरीय परामर्शदात्री समिति, मोबाईल नं0–9771249494
2.	प्रभावित क्षेत्र से अनु0 जाति/जनजाति से एक प्रतिनिधि।	श्री राम भजन राम, (मुखिया पति) ग्राम–बनारपुर मोबाईल नं0–7254073467
3.	प्रभावित क्षेत्र से एक स्वयंसेवी संस्थान का प्रतिनिधि।	गरिमा समाज विकास संस्थान, स्थानीय पता–चौसा गोला, मुख्य कार्यालय पता–वीर कुँवर सिंह क़ॉलोनी, चरित्रवन, बक्सर, पिन कोड–802101 संचालक–श्री सिकन्दर सिंह, मोबाईल नं0–9939470129 ई–मेल आई0डी0–gsvspatna1@gmail.com बेवसाईट–www.garimasamaj.org
4.	प्रभावित क्षेत्र में अवस्थित सरकारी बैंक का एक प्रतिनिधि।	शाखा प्रबंधक, मध्य बिहार ग्रामीण बैंक, सिकरौल, चौसा, मोबाईल नं0–9771464078
5.	प्रभावित क्षेत्र के एक सरपंच या उनके द्वारा नामित व्यक्ति।	श्री नन्दलाल चौधरी, ग्राम–बनारपुर, मोबाईल नं0–7739885758
6.	प्रभावित क्षेत्र से लोक सभा और विधान सभा का प्रतिनिधि।	श्री अश्विनी कुमार चौबे, माननीय सांसद, मोबाईल नं0–9431018770 श्री संजय कुमार तिवारी, माननीय विधायक, मोबाईल नं0–9431433758
7.	प्रभावित क्षेत्र का भू–अर्जन पदाधिकारी।	श्री प्रेमकांत सूर्य, जिला भू–अर्जन पदाधिकारी, बक्सर, मोबाईल न0–8544412959
8.	एसटीपीएल, बक्सर के द्वारा नामित एक प्रतिनिधि।	श्री उदय कुमार सिन्हा, अपर महाप्रबंधक, एस0जे0भी0एन0, बक्सर (LA & RR) मोबाईल न0–9471007271

11/10/21

समाहर्त्ता, बक्सर

E:\Bhuarjan\Letter\2021\Aadesh-2021\Aadesh-2021.docx

ज्ञापांक......1600....../भू–अर्जन, बक्सर दिनांक.....11...../.....10...../2021

प्रतिलिपि :– सभी संबंधित सदस्यों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अंचल अधिकारी, चौसा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रतिनिधि अधियाची विभाग को उनके पत्रांक–184 दिनांक–09.08.2019 के संदर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अनुमण्डल पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– अपर समाहर्त्ता, बक्सर को सूचनार्थ प्रेषित।

11/10/21

समाहर्त्ता, बक्सर

E:\Bhuarjan\Letter\2021\Aadesh-2021\Aadesh-2021.docx